न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2830–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–6–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर, प्रकरण कमाक 367–13–14/अपील.

दिलीप बिल्डकोन लिमिटेड,
द्वारा अधिकृत भरत सिंह,
आत्मज स्व0 श्योराज सिंह,
पता– इ–5/99, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल

.....आवेदक

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन, द्वारा जिलाधीश
   खण्डवा.
2. अनुविभागीय अधिकारी हरसूद,
   जिला खण्डवा

.....अनावेदकगण

श्री आलोक श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/11/2015 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी नया हरसूद, जिला खण्डवा द्वारा प्रकरण कमांक 13–अ/67/वर्ष 2012–13 में दिनांक 27–7–2013 को आदेश पारित कर आवेदक द्वारा 2,87,200 घन मीटर मिट्टी/मुरूम/बोल्डर का अवैध उत्खनन किया जाना ठहराते हुए, उसके बाजार मूल्य 2,87,20,000/– का पांच गुना अर्थदण्ड रूपये 14,36,00,000/– आवेदक पर अधिरोपित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील कलेक्टर खण्डवा के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर खण्डवा द्वारा दिनांक 28–2–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24–6–2014 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिस समय अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया था, उस समय लोक सभा के चुनाव हो रहे थे, इस कारण आवेदक आदेश की जानकारी प्राप्त नहीं कर सका । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 28–2–2014 की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 11–3–2014 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 22–3–2014 की तिथि दी गई । उक्त दिनांक को स्थानीय अधिवक्ता श्री दगडू सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु उपस्थित हुए, परंतु सत्य प्रतिलिपि तैयार नहीं हुई । सत्य प्रतिलिपि दिनांक 29–5–2014 को तैयार होने के उपरांत आवेदक को उपलब्ध हो पाई और उसके द्वारा 11–6–2014 को अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई । इस आधार पर कहा गया कि यदि सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगा समय कम कर दिया जाये, तो आवेदक द्वारा समय सीमा में अपील प्रस्तुत की गई थी, परंतु अपर आयुक्त द्वारा उक्त स्थिति पर बिना विचार किये गये आवेदक की अपील समय बाह्य मानकर निरस्त करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थल पर पंचनामा नहीं बनाया

गया है, और मौके पर आवेदक का कोई वाहन भी जप्त नहीं हुआ है । यह भी कहा गया कि स्थल पर आवेदक इकाई का कोई आदमी भी नहीं मिला है । यह भी कहा गया कि आवेदक जिस स्थान हरसूद में सड़क बना रहे हैं, वहां अन्य ठेकेदार भी कार्य कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा ही अवैध उत्खनन किया जाना मानने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनुमान के आधार पर आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना ठहराते हुए अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, क्योंकि 29 हैक्टेयर भूमि की नप्ती अकेले पटवारी द्वारा की जाना संभव नहीं है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और विलम्ब का सद्भाविक कारण उनके द्वारा नहीं बतलाया जा सका है । यह भी कहा गया कि आवेदक को अपर कलेक्टर के आदेश की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 22–3–2014 दी गई थी, परंतु उक्त दिनांक को आवेदक द्वारा उपस्थित होकर नकल प्राप्त नहीं की गई, अतः अपर आयुक्त द्वारा विलम्ब क्षमा नहीं करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक के विरूद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया है । नायब तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन में आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना तो प्रतिवेदित किया गया है, परंतु मौके पर आवेदक इकाई की कोई मशीन अथवा वाहन जप्त किये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा जबाव प्रस्तुत कर स्पष्ट किया गया था कि उसके द्वारा कोई अवैध उत्खनन नहीं किया गया है, क्योंकि मौके पर आवेदक इकाई का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी नहीं पाया गया है, और न ही मशीन अथवा वाहन ही पाये गये हैं, हरसूद में अन्य ठेकेदार भी कार्य कर रहे हैं, अतः आवेदक द्वारा ही अवैध उत्खनन किया जाना नहीं ठहराया जा सकता है । आवेदक इकाई द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा है, और जिस स्थान से मुरम, गिट्टी एवं

बोल्डर निकाले गये हैं, वहां सीमेण्ट का स्लेब डाला गया है, जो कि सड़क निर्माण का ही हिस्सा है, परंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के जबाव पर बिना विचार किये, केवल नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के कथन के आधार पर आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित पाया गया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी का यह दायित्व था कि वह अवैध उत्खनन को साक्ष्य से प्रमाणित करते और इस हेतु आवेदक इकाई को पर्याप्त अवसर प्रदान करते, परंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही की जाना अभिलेख से परिलक्षित नहीं होता है । स्पष्ट है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है, और चूंकि अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये, अनुविभागीय अधिकारी अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिये उनके आदेश भी स्थिर नहीं रखे जा सकते हैं । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर, प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे ओवदक को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर, संहिता के प्रावधानों के अनुरूप विधिसंगत आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–2014, अपर कलेक्टर खण्डवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2014 एवं अनुविभागीय अधिकारी हरसूद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–7–2012 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण क्रमांक 2825–पीबीआर/14 पर भी लागू होगा, अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में भी सलंग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर